

॥ कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी ॥  
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 342 /3क(2)/पार.स्था./2022-23/दिनांक 08/07/2022

**पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 18(3) में निहित प्राविधानानुसार पारस्परिक स्थानान्तरण श्रेणी के अन्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

**विषय:-विज्ञान**

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम व पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
<b>शाखा सामान्य</b>						
1	माधुरी नौटियाल स०अ०एल०टी०	विज्ञान	रा०उ०मा०वि० बनियावाला, सहसपुर, दे०दून	सुगम	रा०इ०का० भगद्वारीखाल, रायपुर, दे०दून	दुर्गम
	हिम्मत सिंह, स०अ०एल०टी०	विज्ञान	रा०इ०का० भगद्वारीखाल, रायपुर, दे०दून।	दुर्गम	रा०उ०मा०वि० बनियावाला, सहसपुर, दे०दून	सुगम
2	कमलापति मैठाणी, स०अ०एल०टी०	विज्ञान	रा०इ०का० द्वारा, रायपुर, दे०दून	सुगम	रा०इ०का० सिल्ला, रायपुर, दे०दून	दुर्गम
	राजेश चन्द्र बघानी, स०अ०एल०टी०	विज्ञान	रा०इ०का० सिल्ला, रायपुर, दे०दून	दुर्गम	रा०इ०का० द्वारा, रायपुर, दे०दून	सुगम
3	उपेन्द्र सिंह चौहान, स०अ०एल०टी०	विज्ञान	रा०उ०मा०वि० नागथलीमणी, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा०उ०मा०वि० भुटाणू मोरी, उत्तरकाशी	दुर्गम
	सुबोध, स०अ०एल०टी०	विज्ञान	रा०उ०मा०वि० भुटाणू मोरी, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा०उ०मा०वि० नागथलीमणी, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	दुर्गम
4	राम कुमार थपलियाल, स०अ०एल०टी०	विज्ञान	रा०इ०का० बछेर, दशोली, चमोली	दुर्गम	रा०इ०का० टंगसा, दशोली, चमोली	दुर्गम
	जानकी रड़वाल, स०अ०एल०टी०	विज्ञान	रा०इ०का० टंगसा, दशोली, चमोली	दुर्गम	रा०इ०का० बछेर, दशोली, चमोली	दुर्गम

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

✓

(महावीर सिंह बिष्ट)  
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 40819-41000/3क(2)/पार.स्था./2022-23/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार भवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

ग्रहवाल मण्डल पौड़ी